

1

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 168/2010

न्यायालय— प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड
मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 168/2010

संस्थापित दिनांक 30/03/2010

वन विभाग मौ, जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

1. सायद खां पुत्र इस्लाम खां उम्र-27
 2. साबिर खां पुत्र इस्लाम खां उम्र-35
- निवासीगण— गोहद पुलिस थाने के पीछे,
इस्लामपुरा, गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियुक्तगण

(अपराध अंतर्गत धारा-33(1)(क) भारतीय वन अधिनियम)
(राज्य द्वारा एडीपीओ—श्री प्रवीण सिकरवार।)
(आरोपीगण द्वारा अधिवक्ता—श्री सुरेश गुर्जर।)

::- निर्णय -::

(आज दिनांक 06/04/2018 को घोषित किया)

आरोपीगण पर दिनांक 11.03.10 को वीट गुमारा के कक्ष क077 में गुमारा के बाग में वनक्षेत्र में आरक्षित वन भूमि पर खड़े महुए के पेड़ में कुल्हाड़ी मारकर पेड़ को काटने का प्रयास कर वन संपत्ति को नुकसान पहुंचाने हेतु भारतीय वन अधिनियम की धारा 33 (1)(क) के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में परिवाद पत्र इस प्रकार है कि दिनांक 11.03.10 को वन चौकी स्टाफ एवं बीट गार्ड रामसेवक सोनी वन सेवक व गनेशसिंह परिहार वन रक्षक सांय 2 बजे बीट गुमारा के वन क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण के दौरान कक्ष क्रमांक 77 गुमारा में बाग में खड़े महुआ का पेड़ काटते हुए तीन लोग मिले थे। वन स्टाफ ने तीनों आरोपीगण को मौके पर गिरफ्तार कर लिया था पूछताछ करने पर उक्त आरोपीगण ने अपने नाम इसराक खां, सायद खां, एवं साबिर खां बताये थे। आरोपीगण महुआ का पेड़ काटते हुए मिले थे किन्तु पेड़ कट नहीं पाया था। तीनों आरोपीगण से मौके पर ही एक कुल्हाड़ी एक आरा एवं एक मोटरसाइकिल स्प्लेण्डर क्रमांक एम0पी0-09-जे.सी.7731 जप्त की थी। मौके पर ही वन स्टाफ द्वारा घटनास्थल का नक्शा पंचनामा, जप्तीनामा बनाया गया था। तत्पश्चात आरोपीगण के विरुद्ध पी0ओ0आर0 क्रमांक 4406/13 दिनांक 11.03.10 काटी गयी थी एवं प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए थे एवं विवेचना पूर्ण होने पर परिवाद पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3. उक्त अनुसार आरोपीगण के विरुद्ध अपराध विवरण निर्मित किया गया। आरोपीगण को अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है आरोपीगण का अभिवाक अंकित किया गया।

4. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपीगण ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ है :-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 11.03.10 को वीट गुमारा के कक्ष क्र077 में गुमारा के बाग में वनक्षेत्र में आरक्षित वन भूमि पर खड़े महुए के पेड़ में कुल्हाड़ी मारकर पेड़ काटने का प्रयास कर वन संपत्ति को नुकसान पहुंचाया ?

6. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन की ओर से भानसिंह अ0सा01, अखलेश राठौर अ0सा02, राजेशसिंह अ0सा03, रामजीलाल श्रीवास्तव अ0सा04 एवं रामसेवक सोनी अ0सा0 5 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में रामसेवक सोनी अ0सा0 5 जिसके द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही की गई है, ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त

किया है कि वह दिनांक 11.03.2010 को रामजीलाल श्रीवास्तव, गणेश सिंह परिवार के साथ वन क्षेत्र में भ्रमण के लिए लगभग 2 बजे गुमारा गया था, वहां पर तीनों अपराधी इसराक, सायद एवं साबिर जो कि भाई थे, उक्त लोग महुए का पेड़ काट रहे थे, उक्त तीनों लोगों को उसने महुए का पेड़ काटते हुए गिरफ्तार किया था व आरोपीगण से एक हीरोहोण्डा गाड़ी जप्त की थी, जिसका नम्बर उसे याद नहीं है तथा एक कुल्हाड़ी एवं एक आरा भी आरोपीगण से जप्त किया था। प्र०पी० 1 का पंचनामा उसके द्वारा तैयार किया गया था जिसके ई से ई भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा उक्त घटना की पी०ओ०आर० प्र०पी० 12 लेखबद्ध की गई थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि घटनास्थल का नक्शामौका प्र०पी० 4 है जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा आरोपीगण से एक कुल्हाड़ी, एक आरा व हीरोहोण्डा मोटरसाइकिल जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र०पी० 2 बनाया गया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क्र० 7 में उक्त साक्षी का कहना है कि वह लोग घटनास्थल पर करीब दो बजे पहुंच गये थे, वह लोग गुमारा गांव नहीं गये थे, सीधे घटनास्थल पर गये थे। उन लोगों को महुआ का पेड़ काटने की सूचना किसी ने नहीं दी थी। ऐसा नहीं हुआ था कि उन लोगों को भानसिंह और अखिलेश राठौर ने सूचना दी थी।

8. साक्षी रामजीलाल श्रीवास्तव अ०सा० 4 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह दिनांक 11.03.10 को वन चौकी मौ पर वनपाल के पद पर पदस्थ था उक्त दिनांक को वह बीट गार्ड रामसेवक सोनी, गणेश परिवार के साथ वन क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए करीबन 2 बजे गया था तभी पी०एफ० 77 बीट गुमारा में महुए के पेड़ को काटते हुए तीन लोग मिले थे उनसे पूछताछ की थी तो उन्होंने अपना नाम इसराक, सायद और साबिर बताया था। उक्त लोग पेड़ काटते मिले थे लेकिन उन्होंने पेड़ नहीं काट पाया था। उनसे एक हीरोहोण्डा मोटरसाइकिल जप्त की थी उक्त संबंध में रामसेवक द्वारा मौके पर पंचनामा बनाया गया था जो प्र०पी-1 है जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। मौके का नक्शा प्र०पी-4 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा आरोपी साबिर, सायद व इसराक के कथन लिए गए थे जो प्र०पी-5, 6 एवं 7 हैं जिनके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने रामसेवक सोनी, गणेश परिवार, और रामप्रकाश राठौर तथा अखिलेश राठौर के कथन भी लिए थे। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 2 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि उन्हें सूचना मिली थी कि पेड़ काटे जा रहे हैं उसे सूचना अखिलेश राठौर और भानसिंह ने दी थी। दोनों चौकीदार अखिलेश और भानसिंह मौ चौकी पर पदस्थ थे एक चौकीदार की रतवा बीट पर और एक चौकीदार की गुमारा बीट पर ड्यूटी थी। पद क्रमांक 3 में उक्त साक्षी का कहना है कि आरोपीगण को वह पहले से नहीं पहचानता था। तीनों लोग उसे एक ही मोटरसाइकिल पर बैठे मिले थे। गुमारा बीट पर वह लगभग दो-ढाई बजे पहुंच गये थे। पद क्रमांक 4 में उक्त साक्षी का कहना है कि उन लोगों ने प्र०पी-1 के पंचनामे की लिखापट्टी गुमारा गांव में मौके पर ही की थी।

9. साक्षी भानसिंह अ0सा01, अखिलेश राठौर अ0सा02 द्वारा भी रामजीलाल श्रीवास्तव अ0सा04 के कथन का समर्थन किया गया है एवं घटना दिनांक को डिप्टी रेंजर श्रीवास्तव साहब के साथ वन क्षेत्र में भ्रमण करने एवं आरोपीगण को पेड़ काटते हुए पकड़ लेने बाबत प्रकटीकरण किया गया है।

10. साक्षी राजेशसिंह अ0सा03 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना वर्ष 2010 की है वन विभाग के चौकीदार द्वारा सूचना दी गयी थी कि आरोपीगण महुआ काट रहे थे तो सूचना की तत्पश्चात् हेतु वह लोग मौ से गुमारा पहुंचे थे। आरोपीगण महुआ काटते हुए मिले थे वह आरोपीगण को शकल से जानता है नाम से नहीं जानता है। इसके पश्चात् उक्त साक्षी ने अपने मुख्यपरीक्षण के पद क्रमांक 2 में व्यक्त किया है कि वह हाजिर अदालत आरोपीगण को नाम एवं शकल से नहीं जानता है। हाजिर अदालत आरोपीगण उसे महुआ काटते हुए नहीं मिले थे। अपने न्यायालयीन कथन से सात साल पहले वह घटना वाले दिन वन अधिकारियों के साथ ग्राम गुमारा गया था वहां उसे सूखा महुआ कटा हुआ मिला था। वन अधिकारी कुछ लोगों को पकड़कर लाये थे परन्तु उसमें हाजिर अदालत आरोपीगण नहीं थे। मौके पर पंचनामा बनाया गया था जो प्र0पी-1 है जिसके डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शामौका प्र0पी-4 है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

11. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

12. प्रस्तुत प्रकरण में साक्षी रामसेवक सोनी अ0सा0 5 जिसके द्वारा प्र0पी0 12 की पी0ओ0आर0 लेखबद्ध की गई है, ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह बताया है कि घटना वाले दिन वह रामजीलाल श्रीवास्तव एवं गणेश सिंह परिहार के साथ वन क्षेत्र परिभ्रमण के लिए गया था तो वहां पर उसे आरोपी इसराक, सायद एवं साबिर महुए का पेड़ काटते हुए मिले थे, उसने तीनों आरोपीगण को महुए का पेड़ काटते हुए गिरफ्तार किया था। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने आरोपीगण से मौके पर ही एक कुल्लाडी, एक आरा एवं एक हीरोहोण्डा मोटरसाईकिल जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी0 2 बनाया था उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने मौके पर प्र0पी0 1 का पंचनामा भी बनाया था। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि वह वन चौकी मौ से दिनांक 11.03.2010 को रामजीलाल श्रीवास्तव, गणेश सिंह, भानसिंह गुर्जर, राजेश भदौरिया एवं अन्य लोगों के साथ करीब 12 बजे निकला था तथा वह लोग घटनास्थल पर करीब 2 बजे पहुंच गये थे। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी बताया है कि उसे पेड़ काटने की सूचना पहले से किसी ने नहीं दी थी। जबकि साक्षी रामजीलाल श्रीवास्तव अ0सा0 2 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि उसे अखिलेश राठौर एवं भानसिंह ने पेड़ काटने की सूचना दी थी इस प्रकार उक्त बिन्दु पर साक्षी रामसेवक सोनी अ0सा0 5 एवं रामजीलाल

श्रीवास्तव अ0सा0 4 के कथन किंचित विरोधाभासी रहे हैं किन्तु उक्त विरोधाभास इतना तात्त्विक नहीं है कि जिसके आधार पर सम्पूर्ण अभियोजन घटना को ही संदेहास्पद मान लिया जाये।

13. साक्षी सेवानिवृत्त वनपाल रामजीलाल श्रीवास्तव अ0सा04 जिसके द्वारा उक्त परिवाद की विवेचना की गयी है, ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना वाले दिन वह बीटगार्ड रामसेवक सोनी एवं गनेश परिहार के साथ वनक्षेत्र में भ्रमण करने गया था तो बीट गुमारा के पी0एफ077 में उसे आरोपी सायद, साबिर पेड़ काटते हुए मिले थे लेकिन पेड़ कट नहीं पाया था तथा मौके पर ही रामसेवक द्वारा पंचनामा बनाया गया था जो प्र0पी-1 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसे अखिलेश राठौर और भानसिंह ने आरोपीगण द्वारा पेड़ काटने की सूचना दी थी तथा दोनों चौकीदार मौ से बीट पर उसके साथ गये थे। उक्त साक्षी का यह भी कहना है कि वह गुमारा बीट पर लगभग दो-ढाई बजे पहुंच गया था। यद्यपि उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि तीनों आरोपीगण एक ही मोटरसाइकिल पर थे परन्तु मोटरसाइकिल का नंबर क्या है वह नहीं बता सकता है परन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि घटना दिनांक 11.03.10 की है एवं रामजीलाल श्रीवास्तव अ0सा04 के कथन न्यायालय में दिनांक 22.07.17 को हुए हैं ऐसी स्थिति में समय का लंबा अंतराल होने के कारण यह अत्यंत स्वाभाविक है कि उक्त साक्षी को जप्तशुदा मोटरसाइकिल का नंबर याद न हो परन्तु मात्र इस आधार पर अभियोजन घटना के विपरीत कोई उपधारणा नहीं की जा सकती है।

14. रामजीलाल श्रीवास्तव अ0सा04 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी व्यक्त किया है कि उसने प्र0पी-1 के पंचनामे की लिखापट्टी ग्राम गुमारा में मौके पर लगभग तीन बजे की थी। जबकि पंचनामा प्र0पी-1 में समय 2 बजे अंकित है। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर भी साक्षी रामजीलाल श्रीवास्तव अ0सा0 4 के कथन प्र0पी0 1 के पंचनामे से किंचित विरोधाभासी रहे हैं किन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि समय का लम्बा अंतराल होने के कारण साक्षी के कथनों में उक्त विसंगति आना स्वाभाविक है एवं उक्त विसंगति इतनी तात्त्विक भी नहीं है जिसके आधार पर सम्पूर्ण अभियोजन घटना संदेहास्पद हो जाये।

15. साक्षी भानसिंह अ0सा0 1 ने भी अपने कथन में घटना दिनांक 11.05.2010 को डिप्टी रेंजर एवं स्टॉफ के अन्य लोगों के साथ क्षेत्र भ्रमण पर जाना तथा आरोपीगण को महुआ का पेड़ काटते हुए पकड़ना बताया है उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि आरोपीगण से दो कुल्हाड़ी, एक फनर व एक मोटरसाइकिल डिप्टी रेंजर द्वारा जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी0 1 बनाया गया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कथन तात्त्विक विरोधाभासों से परे रहा है।

16. साक्षी अखिलेश राठौर अ0सा0 2 ने भी अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना दिनांक को कस्वा भ्रमण के समय महुआ बाग में आरोपी इसरार खॉ उसे पेड़ काटते हुए मिले थे, वह लोग उसे पकड़कर लाये थे एवं उनके कब्जे से एक कुल्हाड़ी, एक आरा तथा एक हीरो होण्डा स्पलेण्डर गाड़ी लेकर आये थे। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी इसरार, साबिर एवं सायद खॉ को पकड़ा था तथा तीनों मिलकर महुआ का पेड़ काट रहे थे। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके सामने प्र0पी0 2 में वर्णित अनुसार एक कुल्हाड़ी, एक आरा एवं एक मोटरसाईकिल जप्त की गई थीं। उक्त साक्षी का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कथन तुच्छ विसंगतियों को छोड़कर तात्त्विक विरोधाभाषों से परे रहा है।

17. साक्षी राजेश सिंह अ0सा0 3 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं व्यक्त किया गया है कि हाजिर अदालत आरोपी उसे महुआ का पेड़ काटते हुए नहीं मिले थे। इस प्रकार यद्यपि राजेश सिंह अ0सा0 3 द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है परन्तु शेष साक्षी भानसिंह अ0सा0 1, अखिलेश अ0सा0 2, रामजीलाल श्रीवास्तव अ0सा0 4 एवं रामसेवक सोनी अ0सा0 5 ने आरोपीगण को महुआ का पेड़ काटते हुए पकड़ना बताया है उक्त सभी साक्षीगण का कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान तात्त्विक विरोधाभाषों से परे रहा है। ऐसी स्थिति में मात्र इस आधार पर राजेश सिंह अ0सा0 3 द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है, अभियोजन घटना पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

18. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह भी व्यक्त किया गया है कि वन विभाग के कर्मचारियों का तिलक सिंह से विवाद चल रहा था एवं उक्त विवाद के कारण वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा आरोपीगण को असत्य रूप से अपराध में संयोजित किया गया है परन्तु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण में तिलक सिंह आरोपी नहीं है। बचाव पक्ष की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है कि आरोपीगण का वन विभाग के कर्मचारियों से कोई विवाद था। ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष का उक्त तर्क स्वीकार योग्य नहीं है एवं उक्त तर्क से आरोपीगण को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

19. प्रस्तुत प्रकरण में साक्षी रामसेवक सोनी अ0सा0 5, भानसिंह अ0सा0 1, अखिलेश राठौर अ0सा0 2 एवं रामजीलाल श्रीवास्तव अ0सा0 4 ने आरोपी सायद, इसरार एवं साबिर खॉ को महुआ का पेड़ काटते हुए मौके पर पकड़ना बताया है। उक्त सभी साक्षीगण का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है किन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त सभी साक्षीगण का कथन तुच्छ विसंगतियों को छोड़कर तात्त्विक विरोधाभाषों से परे रहा है। प्र0पी0 1 के पंचनामे में भी आरोपीगण द्वारा महुआ का पेड़ काटने का उल्लेख है। इस प्रकार साक्षी रामसेवक सोनी अ0सा0 5, भानसिंह

अ0सा0 1, अखिलेश राठौर अ0सा0 2 एवं रामजीलाल श्रीवास्तव अ0सा0 4 के कथन प्र0पी0 1 के पंचनामें से भी पुष्ट रहे हैं। प्र0पी0 2 के जप्ती पंचनामें में भी आरोपीगण से कुल्हाड़ी, आरा एवं मोटरसाईकिल जप्त होने का उल्लेख है। इस प्रकार उक्त साक्षीगण के कथनों की पुष्टि जप्ती पंचनामा प्र0पी0 2 से भी हो रही है। साक्षी भानसिंह अ0सा0 1, अखिलेश राठौर अ0सा0 2, रामजीलाल श्रीवास्तव अ0सा0 4 एवं रामसेवक सोनी अ0सा0 5 के कथनों से यही दर्शित है कि उक्त साक्षीगण ने आरोपीगण सायद एवं साबिर को मौके पर महुए का पेड़ काटते हुए पकड़ा था। आरोपीगण की ओर से उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, ऐसी स्थिति में अभियोजन की अखण्डित रही साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है।

20. फलतः उपरोक्त चरणों में की गई विवेचना से अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 11.03.2010 को बीट गुमारा के कक्ष क्र0 77 में गुमारा के बाग में वन क्षेत्र में आरक्षित वन भूमि पर खड़े महुए के पेड़ में कुल्हाड़ी मारकर पेड़को काटने का प्रयास कर वन सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया। फलतः यह न्यायालय आरोपी सायद खां एवं साबिर खां को भारतीय वन अधिनियम की धारा 33(1)(क) के अंतर्गत सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध करती है।

21. आरोपीगण एवं उनके अधिवक्ता को औपचारिक रूप से सजा के प्रश्न पर सुना गया। आरोपीगण के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया कि आरोपीगण का यह प्रथम अपराध है। आरोपीगण वर्ष 2010 से विचारण की पीड़ा को झेल रहे हैं अतः आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जावे।

22. आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह दर्शित है कि अभियोजन द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध कोई पूर्व में दोषसिद्धि अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है परन्तु आरोपीगण द्वारा आरक्षित वन भूमि में खड़े हुए महुए के पेड़ में कुल्हाड़ी मारकर वृक्ष को हानि पहुंचाई गई है अतः आरोपीगण को परिवीक्षा पर छोड़ जाना उचित नहीं है। आरोपीगण को शिक्षाप्रद दण्ड से दण्डित किया जाना आवश्यक है। आरोपीगण द्वारा कुल्हाड़ी मारकर वृक्ष को हानि पहुंचाई गई है अतः आरोपीगण को न्यायालय उठने तक के कारावास तथा अर्धदण्ड से दण्डित करने से न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति होना संभव है।

23. फलतः यह न्यायालय आरोपी सायद खां एवं साबिर खां को भारतीय वन अधिनियम 33(1)(क) के अंतर्गत न्यायालय उठने तक के कारावास एवं एक-एक हजार रूपए के अर्धदण्ड तथा अर्धदण्ड की राशि में व्यतिक्रम होने पर बीस-बीस दिवस के साधारण कारावास के दण्ड से दण्डित करती है।

24. आरोपीगण पूर्व से जमानत पर हैं उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं।

25. प्रकरण में आरोपी इसरार फरार है। अतः प्रकरण का अभिलेख एवं जप्तशुदा संपत्ति सुरक्षित रखी जावे।

स्थान – गोहद

दिनांक – 06-04-2018

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।
कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)